पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-31-08-2023

दिनांक-30/31-08-2023 को रात्रि थाना आलमबाग 02, कैन्ट 04, गोमतीनगर विस्तार 02, ठाकुरगंज 01, विभूतिखण्ड 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना नाका-दिनांक 30.08.2023 को एस0आई0 श्री सुभाषचन्द्र यादव थाना नाका द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-बलवीर सिंह बब्बल पुत्र स्व. वचन सिंह निवासी 277/90 छेदा खवास पुरवा थाना नाका लखनऊ को अजीत होटल के सामने सुभाष मार्ग, थाना नाका से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध अंग्रेजी/देशी शराब (1260 ML अंग्रेजी शराब व 2000 ML देशी शराब) बरामद कर थाना नाका पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर-दिनांक 30.08.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री पंकज कुमार निवासी-गंगानगर अमौसी स्टेशन रोड थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि वादिनी अपनी बहन के उक्त पते पर घर की दूसरी मंजिल पर रहती है। दिनांक 28.07.2023 को समय करीब 06.45 बजे शाम को अपनी बहन व पूरे परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर आलमबाग खरीददारी करने गयी थी। जब वादिनी समय करीब 09.45 बजे रात्रि को अपने घर पर वापस आयी तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा घर की खिड़की का निकाला गया है। जब वादिनी घर के अन्दर गयी तो देखा कि अन्दर रखे बक्शे का ताला टूटा हुआ है और बक्शे के रखे कीमती जेवरात व 10,000/-रूपये नगद का चोरी कर लिया गया है। वादिनी को शक है कि जब वादिनी घर गयी हुयी तो चौकीदार बैठा देख रहा था, जिससे वादिनी को पूरा विश्वास है कि चौकीदार द्वारा रेकी कर वादिनी के घर से चोरी करायी गयी है। **इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0- 382/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गुडम्बा-दिनांक 31.08.2023 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बहोरख राम बहोरख राम निवासी-ग्राम मसूदपुर जनपद-गाजीपुर ने थाना गुडम्बा पर सूचना दिया कि वह राजकीय नलकूप से0-174एलजी ग्राम दसौली पर कार्यरत है। कल दिनांक 30.08.2023 को काश्तकार मुन्ना द्वारा जरिये मोबाइल फोन पर उसे सूचना दिया कि टैंक में एक लड़का मृत पाया गया है। जिसकी सूचना उसके द्वारा 112 को दी गयी तो पुलिस द्वारा मृत लड़के को टैंक से निकाला गया और आस-पास के लोगों से पूछताछ करने पर मृतक की शिनाख्त जिब्राइल उर्फ जुबैर पुत्र नूर मोहम्मद उम्र करीब 17 वर्ष ग्राम आधारखेड़ा थाना लखनऊ के रूप में हुआ है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री मुन्ना सिंह मो0नं0 7275102311 थाना गुडम्बा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया किमृतक जिब्राइल उपरोक्त कल दिनांक 30.08.2023 को समय करीब 03.00 बजे से 4.00 बजे के बीच नहाने के लिए गया था। मृतक मजदूरी करता था।

<u>थाना सुशान्तगोल्फ सिटी</u>-दिनांक 30.08.2023 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री रौनक सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह निवासी-418/322 गढ़ी पीर खां थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 27.08.2023 को वादी सुबह फिनिक्स प्लासियो में अपने मित्रों के साथ पार्टी करने के लिए गया हुआ था। समय करीब 01.30 बजे से 02.30 बजे के बीच इनविटेशन की बात को लेकर बार के स्टॉफ/बाउन्सर द्वारा वादी व वादी के मित्रों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। मारपीट में वादी व वादी के भाई अजितेन्द्र सिंह को भी काफी चोटें आयीं। वादी के साथ जब अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो मैनेजर रवि सिंह, जनरल मैनेजर बी0के0सिंह, राकेश सिंह व अन्य 08-10 स्टॉफ/बाउन्सर ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। अधिक चोट लगने के कारण वादी को बेहोशी की हालत में अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0-454/2023 धारा 147/323/504/506/308 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**